विधान सभा, दिल्ली

Legislative Assembly, Delhi

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES

छठी विधान सभा का प्रथम प्रतिवेदन

FIRST REPORT OF THE SIXTH ASSEMBLY

26 नवम्बर, 2015 को प्रस्तुत

PRESENTED ON 26 NOVEMBER, 2015

COMMITTEE OF PRIVILEGES

(2015-2016)

Shri Somnath Bharti — **Chairperson**

MEMBERS

2. Shri Anil Bajpai
3. Shri Mahinder Goyal
4. Smt. Parmila Tokas
5. Shri Akhilesh PatiTripathi
6. Shri Raguvinder Shokeen
7. Shri Raju Dhingan
8. Shri Rajendra Pal Gautam
9. Shri Girish Soni

Secretariat

1. Shri Prasanna Kumar Suryadevara - Secretary
2. Shri Rajender Prashad - Dy. Secretary

REPORT OF PRIVILEGE COMMITTEE

Introduction

I , Rajendra Pal Gautam, member of the Committee on Privileges having been elected its chairman by the Committee in its meeting held on 15-09-2015 in the absence of Sh. Somnath Bharti and having been authorized by the Committee to submit the report on their behalf in the matter of Hon'ble MLA Shri Jarnail Singh alleging breach of privilege against officers belonging to Delhi Police, Engineers of North Delhi Municipal Corporation of Delhi and IBN7, present the report to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha.

The Committee wishes to place on record its appreciation of the valuable assistance rendered by the officers and staff of the Assembly Secretariat during its meetings as also in the preparation of the report.

(RAJENDER PAL GAUTAM)
COMMITTEE ON PRIVILEGES

Delhi.
Date: 15th Sept, 2015

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NCT OF DELHI
(COMMITTEE OF PRIVILEGES)

In the matter of Shri Jarnail Singh, Hon'ble MLA, Tilak Nagar.

REPORT

Notice/Complaint dated 11/5/2015 alleging breach of privilege was given by Shri Jarnail Singh, Hon'ble MLA, Tilak Nagar to the Hon'ble Speaker who referred the matter to the Committee on Privileges for necessary action. The Committee in its meeting dt. 14/5/2015 took cognizance of the complaint and directed issuance of notices to Commissioner of Police(Delhi), DCP(West), SHO(Tilak Nagar), Superintending Engineer(Building), Exc. Engineer(Building), Jr. Engineer(Building) of MCD, West Zone and Group Editor, IBN7 for their written statement/response in this regard.

All the above officers submitted their responses/explanations in this regard which were perused and considered by the Committee in its meeting dt. 4.6.2015 and 23/06/15. The one cardinal point that has emerged from all the replies submitted by the officers is that all the officers expressed their highest regard for the Constitution of India and the Representatives of the People and also expressed their unqualified regrets in case any contrary impression was conveyed to the Hon'ble MLA by any of their acts/statements. The last para in the replies submitted by all the three police officers is identical and is quoted here "**With utmost respect, the answering respondent reiterates and reassures that he and the Delhi Police and will always keep the highest regard for the Representatives of the People and democratic process mandated by the Constitution of India. If inadvertently a contrary impression has been conveyed, the answering respondent requests the Hon'ble MLA and Hon'ble Privilege Committee not to carry further such impression (If any), as is also explained in this reply. Notwithstanding these explanations, any hurt caused to the feelings of the Hon'ble MLA and Hon'ble Privilege Committee is highly regretted.**"

Keeping in view such responses of all the officers against whom the complaint was made, the Committee on Privileges graciously accepted their submissions of regret and therefore unanimously decided to drop the proceedings against them initiated vide Notices dt 22/5/2015 and recommended that the same may be communicated to the respondents through an appropriately drafted letter so that such instances do not occur.

In the above matter, the Committee of Privileges has prima facie found the committance of breach of privilege of Hon'ble MLA Sh. Jarnail Singh by the respondents, but in view of their submission of regrets, the Committee recommends that their apology may be accepted and the matter may be allowed to rest.

(RAJENDER PAL GAUTAM)
COMMITTEE ON PRIVILEGES

Delhi:
Date: 15 Sept., 2015

विशेषाधिकार समिति
(2015-16)

1. श्री सोमनाथ भारती - सभापति

सदस्य

2. श्री अनिल बाजपेयी
3. श्री महिन्द्र गोयल
4. श्रीमती प्रमिला टोकस
5. अखिलेशपति त्रिपाठी
6. श्री रघुविन्द्र शौकीन
7. श्री राजू धिंगान
8. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
9. श्री गिरीश सोनी

सचिवालय

1. श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा - सचिव
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद - उप-सचिव

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

प्रस्तावना

मैं विशेषाधिकार समिति द्वारा अधिकृत सभापति समिति की ओर से माननीय विधायक श्री जरनैल सिंह की दिल्ली पुलिस, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अभियन्ताओं व आईबीएन-7 द्वारा उनके विशेषाधिकार उल्लंघन सम्बन्धी शिकायत के विषय में माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

समिति अपनी विभिन्न बैठकों व इस प्रतिवेदन को तैयार करने में विधान सभा सचिवालय द्वारा दिये गए मार्ग दर्शन व बहुमूल्य योगदान के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की सराहना करती है ।

(राजेन्द्र पाल गौतम)
विशेषाधिकार समिति

15 सितम्बर, 2015

सचिवालय के दिनांक 22.05.2015 के नोटिस के जवाब में उपरोक्त सभी अधिकारियों ने अपने-अपने स्पष्टीकरण दिये, जिस पर विशेषाधिकार समिति ने दिनांक 04.06.2015 व 23.06.2015 को हुई अपनी बैठक में चर्चा की । समिति ने सभी अधिकारियों द्वारा दिये गए स्पष्टीकरणों में एक सांझा भाव दिखाई दिया अर्थात सभी ने न केवल भारत के संविधान व जन प्रतिनिधियों के प्रति विशेष सम्मान व्यक्त किया अपितु माननीय विधायक से बिना शर्त खेद भी व्यक्त किया यदि उनके किसी कार्य या कथन से उनको ठेस पहुंची हो । दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के जवाब में अन्तिम पैरा महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है "पूर्ण सम्मान के साथ प्रतिवादी पुनः विश्वास दिलाता है तथा दिल्ली पुलिस भारतीय संविधान द्वारा प्रतिस्थापित लोकतांत्रिक प्रक्रिया व जन प्रतिनिधियों के प्रति उच्च सम्मान रखती है । यदि जाने-अनजाने में ऐसा कुछ हुआ है जिससे माननीय विधायक को बुरा लगा हो या उनके सम्मान को ठेस पहुंची हो तो यह सब भुलाने की प्रार्थना करता है व क्षमा याचना करता है ।"

उपर्युक्त विषय में विशेषाधिकार समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अभियन्ताओं तथा आईबीएन-7 चैनल समुह के सम्पादक ने माननीय विधायक श्री जरनैल सिंह के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, परन्तु समिति ने सभी अधिकारियों के लिखित स्पष्टीकरणों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित क्षमा याचना के भाव को उदारतावश

विधान सभा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

(विशेषाधिकार समिति)

तिलक नगर, विधान सभा के माननीय विधायक श्री जरनैल सिंह के विशेषाधिकार के उल्लंघन के विषय में ।

प्रतिवेदन

तिलक नगर, विधान सभा से माननीय विधायक श्री जरनैल सिंह ने अपने विशेषाधिकार के उल्लघंन के सम्बन्ध में दिनांक 11.05.2015 को एक शिकायत माननीय अध्यक्ष महोदय को दी, जिन्होंने उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु विशेषाधिकार समिति को भेजा । समिति ने दिनांक 14.05.2015 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में इस मामले का संज्ञान लिया व निर्देश दिया कि सचिवालय दिल्ली पुलिस के आयुक्त, उपायुक्त (दिल्ली पुलिस)(पश्चिम), थानाध्यक्ष (तिलक नगर), उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत सुप्रिन्टेंडिंग इंजीनियर, कार्यकारी अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता तथा आईबीएन-7 चैनल समूह के सम्पादक को नोटिस जारी करें तथा इस विषय में उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगे ।

स्वीकार कर लिया है व जो कार्यवाही सचिवालय के दिनांक 22.05.2015 के नोटिसों द्वारा प्रारम्भ की गई थी उसे समाप्त करने का निर्णय लिया है । समिति ने यह भी निर्णय किया कि सभी प्रतिवादियों को सचिवालय द्वारा एक पत्र से इस निर्णय की सूचना दी जाए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो ।

(राजेन्द्र पाल गौतम)
विशेषाधिकार समिति

15 सितम्बर, 2015